न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का शलाखेड़ा

बनाम

अप्रार्थी :– श्री जेठूसिंह राजपूत निवासी शलाखेड़ा अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 54 / 2018

निर्णय दिनांक

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का शलाखेड़ा ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा संवत 2075 में सरहद धोलिया के खसरा नम्बर 182 में किस्म गै.मु. 4 में रकबा 0.0356 बीघा भूमि में जाड़ भखार लगा कर अतिकमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जेठूसिंह से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री ——— ने दिनाक ——— को उपस्थित होकर ——— प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का मौजा धोलिया के खसरा नम्बर 182 किस्म गै. मु. 4 में रकबा 0.0356 बीघा की भूमि पर अतिकमण किया जाना वर्तमान में सिद्व होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिकमित भूमि पर किये गये अतिकमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 3— रूपये प्रति बी. की दर से अतिकमित रकबा 0.0356 बीघा भूमि के 0.09 रूपये लगान का 50 गुणा 5/— /– अक्षरे पाँच रूपये दतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 16.8.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पीलवा